सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1436/JH/4/2023-ESDW **दिनांक: 07.07.2023**

श्री राहुल कुमार सिन्हा,
उपायुक्त,
जिला – रांची,
समाहरणालय कार्यालय,
जिला – रांची,
झारखण्ड
ई मेल: dc-ran@nic.in

श्री किशोर कौशल,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला – रांची,
झारखंड पुलिस मुख्यालय,
धुर्वा, जिला – रांची,
झारखण्ड – 834004
ई मेल: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: अशिक्षित एवं गरीब आदिवासी द्वारा ऑनलाइन प्राथमिकी दायर करने के बाद भी किसी प्रकार की करवाई न किए जाने के संबंध में श्री मोरहा टोप्पो, पिता स्व. कड़िया उराँव, ग्राम – बड़ाम कुआँ टोली, पोस्ट – महिलौंग, थाना-टाटीसिल्वे, जिला-रांची, झारखण्ड- 835103 का **दिनांक 03.02.2023 का अभ्यावेदन।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर उपायुक्त, रांची, झारखंड से प्राप्त उत्तर/पत्र दिनांक 13.05.2023 एवं वरीय पुलिस अधीक्षक से प्राप्त उत्तर/पत्र दिनांक 04.05.2023 की छायाप्रति अभ्यावेदक को सूचनार्थ भेजी गयी थी, जिससे असंतुष्ट होकर अभ्यावेदक श्री मोरहा टोप्पो ने दिनांक 14.06.2023 का रिजॉइंडर आयोग को भेजा है, उक्त रिजॉइंडर की प्रति संलग्न कर आपको भेजने का निर्देश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध किया जाता है की रिजॉइंडर में उठाए गए बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गयी कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को इस पत्र प्राप्ति के 07 दिनों की अवधि के भीतर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामलें को आयोग के समक्ष रखा जा सके।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री मोरहा टोप्पो,**
पिता स्व. कड़िया उराँव,
ग्राम – बड़ाम कुआँ टोली,
पोस्ट – महिलौंग, थाना-टाटीसिल्वे,
जिला-रांची, झारखण्ड- 835103

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**